न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ राज.
बइजलास – श्री राजेश कुमार नायक R.A.S.

1. श्री गौतमलाल पिता चन्दनीया जाति मीणा निवासी खतोड़ी तहसील व जिला प्रतापगढ़ राज0 वगैरह ...प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री केशुराम पिता बगदीराम जाति मीणा आयु वयस्क निवासी खतोड़ी तहसील व जिला प्रतापगढ़ राज0 वगैरह

....विपक्षीगण

–:आदेश:–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट

दिनांकः– 07.08.2024

प्रकरण संख्या :– 71/2023

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण संख्या 1 से 4 एक ही खानदान के है, ग्राम खेरोट जिला साखतली रियासत देवगढ़ प्रतापगढ़ में संवत 1993 वी0 में श्री चन्दनीया वल्द वेस्ता भील सा0 खतोड़ी के नाम आराजी संख्या 622 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा व आराजी संख्या 627 रकबा 5 बिघा 12 बिस्वा व आराजी 631 मीन रकबा 8 बीघा आराजी संख्या 631 रकबा 4 बिघा कुल किता 28 बिघा 12 बिस्वा स्थित था उक्त आराजीयात के दौरान सेटलमेंट संवत 2000 वि0 में निम्न नये नम्बर बने है साबिक 622, 627, 628, 631 हाल संख्या 909, 910, 919 रकबा 11 बिघा 1 बिस्वा, 6 बिघा 4 बिस्वा, 15 बिघा 18 बिस्वा बने।

यह कि संवत 2001 वि0 में उक्त सम्पूर्ण कृषि आराजीयात को चन्दनीया के बड़े लड़के प्यारा ने अकेले अपने नाम पर करवा ली तथा चन्दनीया के छोटे लड़को चमना व गोतम को उक्त आराजीयात में से कोई भुमि उनके नाम दर्ज नही करवाई तथा पुराने समय में सारी जमीन ज्येष्ठाधिकार के नियम से बड़े लड़के के नाम कर दी जाती थी जो कानुनन गलत है तथा प्यारा की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात उसके लडके बगदीराम के नाम पर आ गई उसकी मृत्यु के बाद विपक्षी संख्य 1 से4 के नाम आ गई है परन्तु उक्त आराजीयात के गौतम का कब्जा चला आ रहा है तथा 1/3 हिस्से पर चमना का व उसकी मृत्यु के बाद प्रार्थी संख्या 2 से 7 एवं पृथ्वीराज कि मृत्यु के बाद प्रार्थी संख्य 8 से 11 का कब्जा काश्त है।

यह कि दौराने सेटलमेन्ट संवत 2029 में ग्राम खेरोट तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के पुराने आराजी संख्या 919/1 रकबा 14 बिघा 11 बिस्वा के नये आराजी संख्या 1203 रकबा 1.96 हैक्टेयर व पुराने आराजी संख्या 919/1 मीन रकबा के नये आराजी संख्या 1207 रकबा 0.70हैक्टेयर बने है कुल किता 2 कुल रकबा 2.66 हैक्टेयर प्यारा पिता चमना मीणा के नाम दर्ज हुआ है तथा प्यारा कि मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम आई है जिसका इन्द्राज जमाबन्दी संवत 2058–2061 मे किया गया है।

यह कि ग्राम खेरोट प0ह0 खेरोट के नये आराजी संख्या 1203 रकबा 1.96 व आराजी संख्या 1207 रकबा 0.70 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.66 हैक्टेयर पर प्रार्थी संख्या 1 अपने 1/3 हिस्से पर व प्रार्थी संख्या 2 से 11 अपने 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है । तथा उक्त आराजीयात पर बरसो पुराना कब्जा काश्त है प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण एक हि खानदान के सदस्य होने के कारण उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का नाम भी दर्ज है इस वजह से विपक्षी संख्य 1 से 4 ने प्रार्थी पक्ष्ज्ञ को उनके हक व हिस्से से वंचित करने के लिए आराजी संख्या 1203 रकबा 1.96 हैक्टेयर में से 0.42 हैक्टेयर अमृतलाल पिता कमजी मीणा निवासी सिद्वेरिया को विक्रय कर दी व आराजी संख्या 1203 रकबा 1.54 हैक्टेयर में से 0.49 हैक्टेयर गंगाराम पिता फकीरचन्द मीणा निवासी अरनोद को विक्रय कर दी तत्पश्चात भुमि बाबुलाल पिता किशन मीणा निवासी बनेड़िया कला को तथा 0.25 हैक्टेयर भुमि शकुन्तलाल पति जगदीश , रेणु पति राजेन्द्र ,रेखा पत्नी मनीष कोठारी निवासी अरनोद को विक्रय कर दी है जमाबन्दी संवत 2062–65 व 2066–69 कि प्रति संलग्न हैं।

Scanned with CamScanner

यह कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को उक्त आराजीयात संख्या 1203 व 1207 में उनका हिस्सा उनके नाम पर करवाने को कहा व बंटवारा के लिए कहा तो मना कर दिया एवं आराजीयात बैचान करने पर उतारू है।

अतः प्रार्थना पेश कर प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर विपक्षी को ताफैसला वाद तक अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि मौके व रिकार्ड कि यथास्थिती बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल विपक्षीगण 1 लगायत 4 कि ओर से जवाब पेश किया एवं विपक्षीगण संख्या 6 लगायत 10 का वकालतनामा पेश किया गया जवाब पेश नही करना चाहते , विपक्षीगण संख्या 5 एवं 11 बाद तामिल गैर हाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थी की और से बहंस अंतिम सुनी गई , विपक्षीगण प्रार्थी कि आराजी पर कब्जा करने कि नियत से प्रार्थी को बेदखल करना चाह रहे है एवं बैचान करने पर अतारू है अतः मुल वाद के निस्तारण तक उक्त आराजी पर राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे ऐसा निवेदन किया है।

विपक्षी की ओर से बहस मे निवेदन किया कि उक्त आराजीयात विपक्षी संख्या 1 से लगायत 4 के कब्जे काश्त में होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं विपक्षी के अलावा किसी का कब्जा नही है ,बहस में निवेदन किया है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत साक्ष्य से आराजीयात विपक्षीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है विपक्षीगण को ताफैसला जरीये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक **07.08.2024** को खुलें न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड अधिकारी
प्रतापगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ